152

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर (म.प्र.)

प्रकरण क्रमांक ___/निग./अशोकनगर/भू.रा./2018/0857

विमल कुमार मोदी पुत्र श्री कपूर चन्द्र मोदी, आयु–61 साल, व्यवसाय– खेती, निवासी– मोदी कृषि फार्म, गल्ला मण्डी के पास, पिपरई, जिला अशोकनगर (म0प्र0)............. आवेदक

बनाम

अनिल कुमार जैन पुत्र श्री सुभाष चन्द्र जैन, निवासी– ग्राम व तहसील पिपरई, जिला अशोकनगर (म0प्र0) .... अनावेदक

श्री लखन सिंह धाकड़ द्वारा आज दि. 2-2-18 प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक ...-2-18 नियत।

क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर 2-2-18

Lakhan Singh Dhakar Advocate 2/2/18

<u>निगरानी आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 न्यायालय सहायक अधीक्षक भू–अभिलेख महोदय जिला अशोकनगर के सीमांकन प्रतिवेदन कमांक क्यू./भू.–अभि/2017 दिनांक 14.12.2017 (तहसीलदार पिपरई जिला अशोकनगर के प्रकरण क्रमांक 14 अ 12/2017–18) के विरूद्ध निगरानी प्रस्तुत।</u>

श्रीमान् जी,

आवेदक की ओर से निगरानी आवेदन पत्र निम्नानुसार प्रस्तुत है :–

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्यः–

1. यहकि, आवेदक ने कलेक्टर महोदय जिला अशोकनगर के समक्ष भूमि सर्वे कमांक 661 रकवा 1.672 हैक्टेयर सर्वे कमांक 662/2 रकवा 0.261 हैक्टेयर के सीमांकन कराने हेतु एक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था। जिस पर से कलेक्टर महोदय द्वारा कमां /1135/भू–अभि./सीमा./2017 आदेश दिनांक 06.11.2017 को सीमांकन दल गठित करते हुये दिनांक 08.11.2017 को सीमांकन एस.एल.आर.नरेन्द्र कुमार पाण्डे के नेत्रत्व में अधिकृत टीम के द्वारा किया गया तथा मौके पर पंचनामा बनाया गया जिस पर आवेदक एवं अनावेदक के हस्ताक्षर हुये व अन्य उपस्थित साक्षियों के हस्ताक्षर कराये गये, आवेदक द्वारा सीमांकन प्रतिवेदन की नकल की मांग की गयी जिस वावत दिनांक 04.12.17 को विधिवत नकल का आवेदन पेश किया गया, किन्तु उसे प्रतिवेदन व संलग्न दस्तावेजों की कॉपी नहीं दी गयी, आर. आई. बिन्नी रामनरेश के प्रतिवेदन एवं एस.एल.आर नरेन्द्र कुमार पाण्डे द्वारा सीमांकन प्रतिवेदन की नकले देने में टालम टोल करते रहे। एस.एल.आर नरेन्द्र कुमार पाण्डे द्वारा सीमांकन प्रतिवेदन दिनांक 14.12.17 मौके के पंचनामा व नपती के विपरीत अनावेदक से मिलजुल कर कॉफी दिनों बाद प्रभारी अधिकारी भू अभिलेख जिला अशोकनगर को अपूर्ण भेजा गया। उक्त सीमांकन प्रतिवेदन मौके की नाप व पंचनामा के विपरीत जाकर बनाया गया। एस.एल.आर. नरेन्द्र कुमार पाण्डे द्वारा सीमांकन प्रतिवेदन पक्षपातपूर्ण बनाने की शिकायत आवेदक ने दिनांक 18.12.17 को कलेक्टर महोदय जिला अशोकनगर से की गयी। उक्त शिकायत का निराकरण करने के लिये नरेन्द्र कुमार पाण्डे सहायक

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0,ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

तीन / निगरानी / अशोकनगर / भू.रा / 2018 / 857

	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभा कों आदि के हस्ताक्षर
25.2.19	आवेदक के अधिवक्ता श्री लखन सिंह धाकड़ उपस्थित। आवेदक के अधिवक्ता के तर्क सुने तथा प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन किया। अध्ययन से प्रतीत होता है कि इस न्यायालय में आवेदक अधिवक्ता द्वारा सहायक अधीक्षक भू–अभिलेख जिला अशोकनगर के प्रकरण कमांक क्यू / भू.–अभि / 2017 में पारित आदेश दिनांक 14.12.17 के विरूद्व म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा–50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2– म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 में वर्ष 2018 में किये गये संशोधन प्रभावी दिनांक 25.9.18 के अनुसार संहिता की धारा 50 (2) इस प्रकार है:– धारा–50 (2) पुनरीक्षण के लिये कोई आवेदन– (ख) इस संहिता के अधीन निगरानी में पारित किसी अंतिम आदेश के विरूद्व ग्रहण नहीं किया जावेगा। 3–परिणामस्वरूप इस न्यायालय में संचालित नही होने के कारण प्रकरण अनुविभागीय आधिकारी पिपरई जिला अशोकनगर के न्यायालय में स्थानातंरण किया जाता है तथा पक्षकार दिनांक 29 / 04 / 19 को उपस्थित हों। सदस्य पेशी दिनांक 29 / 4 / 19 <u>अनुविभागीय अधिकारी पिपरई जिला अशोकनगर</u>	